



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ

विशेष अपील संख्या - 180 वर्ष 2025

आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
चांसलर और अन्य के माध्यम से

.....अपीलकर्ता(ओं)

बनाम

अजय कुमार सिंह और 10 अन्य
.....उत्तरदाता(ओं)

अपीलकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : प्रशांत कुमार सिंह

प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता : दीप नारायण त्रिपाठी, बदीश कुमार
त्रिपाठी (ए.सी.एस.सी.)

मुख्य न्यायाधीश का न्यायालय

माननीय अरुण भंसाली, मुख्य न्यायाधीश
माननीय न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह

- यह अपील रिट-ए संख्या 2601/2025 में दिनांक 10.03.2025 को पारित आदेश के विरुद्ध है, जिसके द्वारा माननीय एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका को स्वीकार करते हुए अपीलकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वे प्रतिवादियों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार न्यूनतम वेतनमान प्रदान करें, जैसा कि उक्त पद पर कार्यरत नियमित कर्मचारियों द्वारा प्राप्त किया जाता रहा है।
- प्रतिवादियों के अधिवक्ता ने बताया कि इसी तरह के मामले में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा कुलपति, नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या और अन्य बनाम राम किशोर यादव और दो अन्य, विशेष अपील संख्या 129/2025 को डिवीजन बेंच द्वारा 03.04.2025 को खारिज कर दिया गया था, जिसके विरुद्ध अपीलकर्ता विश्वविद्यालय द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 18099/2025 को भी 17.07.2025 को खारिज कर दिया गया था, इसलिए वर्तमान अपील भी खारिज किए जाने योग्य है।
- अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता इस संबंध में दिए गए तर्कों का खंडन करने की स्थिति में नहीं हैं।
- परिणामस्वरूप, राम किशोर यादव (उपरोक्त) मामले में डिवीजन बेंच द्वारा पारित आदेश के बाद, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका खारिज करने के संबंध में बरकरार रखा है, वर्तमान अपील भी खारिज की जाती है।

(न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह) (न्यायमूर्ति अरुण भंसाली, सी.जे.)

16 फरवरी, 2026

हर्षिता/आरके

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"